

**एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,**

सीआईएन: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइट: www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय: द. ब्लो. 10वीं मंजिल, 29 लेन-वाली बाट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400 028, टेलीफोन: +91 2266581300

सांकेतिक कक्षा सूचना

जबकि, अयोधस्ताक्षरी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, जो प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंचितियों के पुनर्निर्माण तथा सूचना हित के प्रवर्तन अभिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अभिनियम") के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है, तथा उक्त अभिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का, सूक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित, प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग सूचना जारी की, जिसमें उनसे उक्त सूचना की प्रार्थि की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बैंककर्ता(ओं) द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर एल्ट्रस्ट्रक्चर विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बैंककर्ता(ओं) तथा सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अयोधस्ताक्षरी ने उक्त अभिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत तथा उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, उक्त/उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अव्यत संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को "जैसी है जहाँ है" तथा जो कुछ भी है के आधार पर" ले लिया है।

1: ऋण संख्या – 0188SBML02590: मूल ऋणदाता – विस्तार : मांग नोटिस की तारीख – 22/01/2026: ट्रस्ट का नाम – आरसिल – ट्रस्ट – 2026 – 011: उधारकर्ता का नाम – श्री/सुश्री रूपेंद्र कुमार. सह-उधारकर्ता का नाम – श्री/सुश्री कालि देवी शर्मा, श्री/सुश्री ज्योति प्रभाकर गवाम्पा. कुल बकाया – रुपये 2,21,887.61/- दिनांक 17/01/2026 तक: संपत्ति का विवरण – यह सम्पत्त भाग एवं पारसल को हाउस ओज्ड नं. 3501, यू. नं. 16/3/143, क्षेत्रफल 97.21 वर्ग मीटर, शोहता नती, कोठावाली जाती है कि वे इन संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

2: ऋण संख्या – 0225SBML00476: मूल ऋणदाता – विस्तार : मांग नोटिस की तारीख – 29/06/2026: ट्रस्ट का नाम – आरसिल – ट्रस्ट – 2026 – 011: उधारकर्ता का नाम – श्री/सुश्री रूपेंद्र कुमार. सह-उधारकर्ता का नाम – श्री/सुश्री राम मेहर सिंह: कुल बकाया – रुपये 16,33,039.70/- दिनांक 29/06/2026 तक: संपत्ति का विवरण – 360 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति का यह सम्पत्त भाग एवं पारसल, अर्थात् 4 मरला में से 1 मरला 3 सरसई 1/3 हिस्सा, खेवट नं.1054 खतीनी नं.1260 रोड नं. 133 खसरा नं. 133/12/1/15/0-2/12/1/16/0-2 में सम्मिलित, ग्राम नोलेवा, ग्राम तालाबखिर मंदिर के पास, पशु अस्पताल के पास, तहसील इस्तरना, तानीपट, कर्नाल, हरियाणा 132145 और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर: राजेश पुत्र रणधीर दक्षिण: सड़क पूर्व: धर्मवीर का मकान पश्चिम: राम मेहर सिंह का मकान: कब्जे की तारीख – 03-09-2026

इसके साथ ही लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज, और भुगतान या वसूली की तारीख तक हुए अन्य खर्च, लागत और शुल्क आदि भी शामिल हैं।

चूंकि ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिए उन्हें और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि आरसिल के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर बताई गई तारीखों पर, संबंधित अभिनियम की धारा 13(4) और नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ऊपर बताई गई संपत्तियां/सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इन संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कोई लेन-देन न करें। ऐसी संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों से जुड़ा कोई भी लेन-देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकार के अधीन होगा, जो ऊपर बताई गई राशि, उस पर लगने वाले ब्याज और खर्चों के लिए है। उधारकर्ताओं का ध्यान अभिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

तारीख: 09-09-2026 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से
स्थान: दिल्ली इस्ताक्षर/— अधिकृत अधिकारी (ट्रस्टी के रूप में)

फॉर्म नं. आईएनएन – 26
[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अन्वयर्ण में]

केंद्र सरकार / क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (D), ध्यासंशोधित के मापले में;
तथा
सम्बन्धित पावर प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U40107DL2018PTC340730), जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ए – 57, डीडीए श्रेष्ठ, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – II, दिल्ली, भारत, 110020 में स्थित है, के मापले में

..... आवेदक कंपनी सूचना एल्ट्राड्रा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 17 अगस्त, 2026 को अल्प सूचना पर आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेड ऑफ असोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक को हस्तांतरित शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करने हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालय के पते: बी – 2 विंग, 2 तल, पं. दीनदयाल अंबेडकर भवन, संजीवो कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में जमा करके या जमा करके या पंजीकृत डाक से भेजें।
कृते, सम्बन्धित पावर प्राइवेट लिमिटेड/हस्ता/-

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 09.09.2026 डीआईएन: 08524188

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT	
भारतीय विद्याला एवं दिवालिप्यापन बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवालिप्यापन समाधान प्रक्रिया) ब्रिडिगमन, 2016) मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों हेतु ध्यानाकर्षण	
प्रासंगिक विवरण	
1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम	सत्याधारा कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	18 फरवरी, 2009
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निर्माणित/पंजीकृत है	अरओसी एनकुलम – केरला
4. कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U92130KL2009PTC023839
5. कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	दुसरा तल, आईसी कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन लिंक रोड, कोजीकोड, केरला – 673 002
6. कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में दिवाला प्रारम्भ तिथि	07/09/2026
7. दिवालिप्या समाधान प्रक्रिया की समाप्ति तिथि	06/03/2027
8. अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित पेशेवर का नाम और पंजीकृत संख्या	अधिवक्ता जोसेफ़ी स्टीफन कनूर IBB/IIPA-002/IP No. 1056/2021-22/13627 ई-मेल आईडी: jssysk@gmail.com
9. समाधान प्रोसेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है।	बार्सल – 16सी, स्कॉय इम्पेरियल गार्डन्स, स्टेटियम लिंक रोड, कालूर, एनकुलम – 682025 ई-मेल आईडी: jssysk@gmail.com
10. पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोसेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाएगा है।	बार्सल – 16सी, स्कॉय इम्पेरियल गार्डन्स, स्टेटियम लिंक रोड, कालूर, एनकुलम – 682025 ई-मेल आईडी: sahyadharacorp26@gmail.com
11. समाधान पत्रा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	21/09/2026
12. लेनदारों के नाम, यदि कोई हो, धारा 21 के खंड (3) का उप-खंड (6)(i) के तहत, अंतरिम संकल्प पेशेवर के द्वारा प्राप्त	NA
13. वर्ग में लेनदारों के डिवाला पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित विवेक एवं अधिकृत प्रतिनिधि (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) के नाम	NA
14. (अ) प्रासंगिक प्रश्न और (ब) अधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण: अनुपलब्ध है।	वेबलिंग https://www.ibbi.gov.in/home/downloads NA

एल्ट्र द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्युनी कानून न्यायधिकरण ने आदेश दिया है कि 07/09/2026 को मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालिप्या समाधान प्रक्रिया शुरू होगी। मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने सबूत और दावे 21/09/2026 से पहले अंतिम समाधान पेशेवर को जमा कर दें, जिसका पता प्रविष्टि संख्या 10 के विवरण दिया गया है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।अन्य सभी लेनदार व्यक्ति स्वयं, डाक-द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
एक वर्ग से सम्बन्धित एक वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रवेश संख्या 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, सूचीकं. 13 के तीन सूचीबद्ध डिवाला पेशेवरों में से अपनी परसं का (जि निश्चित करें) अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए फॉर्म सीएन-ए (लागू नहीं) में से अधिकृत प्रतिनिधि का संकेत दे सकते हैं।
दावे के दूधे या आमक प्रस्तुत करने पर दंड लगना।
अंतरिम समाधान प्रोसेशनल का नाम और हस्ताक्षर :
हस्ता/-
अधिवक्ता: जोसेफ़ी स्टीफन कनूर
दिनांक: 09/09/2026, स्थान: एनकुलम

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
पंजी. कार्यालय: 7वीं, के.एम्. बरवाला रोड, तलवर्दी राणा, हिसार-125001 (हरियाणा) ईमेल: arceind@rediffmail.com फोन नं. 98120-40111, 98120-40222 सीआईएन: L29120MR1992PLC031681	
34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई-मतदान	
एल्ट्रद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 2026 को दोपहर 2:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 7वीं के.एम्. बरवाला रोड, तलवर्दी राणा, हिसार (हरियाणा) में 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय के निराकरण हेतु आयोजित की जाएगी। कंपनी के एजीएम की सूचना और वह 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है और वार्षिक रिपोर्ट तब पहुंचने के लिए वह सिक प्रदान करने वाला पत्र उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के साथ यह पत्राचार पर सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.arceindustries.in और http://eviewing@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को रिपोर्ट ई-मतदान से संबंधित जानकारी के साथ-साथ, कनूर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है। कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, के अनुसार, सार्वभौमिक रूप से (सुविधान सारित एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2016 के विनियम 44 कंपनी और सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिपोर्ट) द्वारा भागीदार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिपोर्ट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल रिक्विरीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएन) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:	
1. रिपोर्ट ई-मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समय: 27 सितम्बर, 2026 (प्राय: 9:00 बजे)	
2. रिपोर्ट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय: 29 सितम्बर, 2026 (प्राय: 5:00 बजे)	
3. रिपोर्ट ई-मतदान की अनुमति 29 सितम्बर, 2026 (प्राय: 5:00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।	
4. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितम्बर, 2026 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर/लगाभूत स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिपोर्ट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है।	
5. वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरधार	